झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (विविध) 22 / 2022—

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

अपर समाहर्ता—सह—
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
जामताड़ा, दुमका एवं गोड्डा।

राँची, दिनांकः—

विषयः— झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्या का जामताड़ा, दुमका एवं गोड्डा जिले में भ्रमण के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं माननीय सदस्या श्रीमती शबनम परवीन आयोग के अन्य 3–4 कर्मियों के साथ दिनांक—19.02.2023 से दिनांक—23.02.2023 तक जामताड़ा, दुमका एवं गोड्डा जिले के भ्रमण पर रहेंगे। इस दौरान माननीय अध्यक्ष एवं सदस्या द्वारा लंबित परिवाद—पत्रों की सुनवाई, जिले के सभी पंचायतों के मुखिया से संवाद एवं जन सुनवाई किया जायेगा।

आयोग का प्रस्तावित कार्यक्रम निम्नवत् हैः—

1. दिनांक—19.02.2023— पूर्वाह्न 10.00 बजे राँची से प्रस्थान कर अपराह्न 04.00 बजे जामताड़ा परिसदन भवन में आगमन।
   - रात्रि विश्राम परिसदन भवन, जामताड़ा में।
   - दिनांक—20.02.2023 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक परिसदन भवन, जामताड़ा में सुनवाई एवं जनसुनवाई।
   - अपराह्न 02.00 से अपराह्न 04.00 बजे तक जामताड़ा जिले के सभी पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद।
   - अपराह्न 05.00 बजे दुमका के लिए प्रस्थान।
2. दिनांक—20.02.2023— अपराह्न 05.00 बजे जामताड़ा से प्रस्थान कर संध्या 07.00 बजे परिसदन भवन, दुमका में आगमन।
   - रात्रि विश्राम परिसदन भवन, दुमका में।
   - दिनांक—21.02.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक परिसदन भवन, दुमका में सुनवाई एवं जनसुनवाई।
   - अपराह्न 02.00 से अपराह्न 04.00 बजे तक दुमका जिले के सभी पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद।
   - अपराह्न 05.00 बजे गोड्डा के लिए प्रस्थान।
3. दिनांक—21.02.2023— अपराह्न 05.00 बजे दुमका से प्रस्थान कर संध्या 07.00 बजे परिसदन भवन, गोड्डा में आगमन।
   - रात्रि विश्राम परिसदन भवन, गोड्डा में।
   - दिनांक—22.02.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक परिसदन भवन, गोड्डा में सुनवाई एवं जनसुनवाई।

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261
Website:-www.jharkhandsfc.in

- अपराह्न 02.00 से अपराह्न 04.00 बजे तक गोड्डा जिले के सभी पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद।
- रात्रि विश्राम परिसदन भवन, गोड्डा में।
- दिनांक–23.02.2023 को पूर्वाह्न 10.00 बजे परिसदन भवन गोड्डा से रांची के लिए प्रस्थान।

4. दिनांक 20.02.2023 को पूर्वाह्न 11.00 से अपराह्न 01.00 बजे तक जामताड़ा में, दिनांक–21.02.2023 को पूर्वाह्न 11.00 से अपराह्न 01.00 बजे तक दुमका में एवं दिनांक–22.02.2023 को पूर्वाह्न 11.00 से अपराह्न 01.00 बजे तक गोड्डा में सुनवाई एवं जन सुनवाई – जन सुनवाई में जिले के लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित योजना, यथा–जनवितरण, पी0एम0पोषण (मध्याहन भोजन), आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित अपनी शिकायत रख सकते हैं। इस सुनवाई में जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं सिविल सर्जन उपस्थित रहेंगे, ताकि शिकायतों का निपटारा तत्काल किया जा सके।

इस भ्रमण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आपसे निम्न कार्रवाई अपेक्षित है:–

- अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जामताड़ा, दुमका एवं गोड्डा दल के प्रवास के दौरान क्रमशः जामताड़ा, दुमका एवं गोड्डा परिसदन भवन में रात्रि विश्राम हेतु पर्याप्त संख्या में कमरे आरक्षित कराएँगे।
- मुखिया के साथ संवाद का स्थल निर्धारित करते हुए स्थल की विवरणी उपलब्ध कराई जाए।
- जन सुनवाई का प्रचार–प्रसार कराया जाए, ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके।
- मुखिया से संवाद हेतु उक्त जिले के मुखियागण को संबंधित जिला द्वारा निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहने सम्बन्धी सूचना दी जाए।

निदेशानुसार अनुरोध है कि उक्त के सन्दर्भ में उपायुक्त से विमर्श कर दिनांक–10.02.2023 तक स्थिति से अवगत कराने की कृपा की जाय। साथ ही यह भी अनुरोध है कि इन कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु जिला प्रशासन का क्या–क्या सहयोग रहेगा, इसकी भी जानकारी दी जाए।

विश्वासभाजन

ह0/–
(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा0खा0आ0 (विविध) 22/2022– राँची, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–उपायुक्त, जामताड़ा, दुमका एवं गोड्डा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा0खा0आ0 (विविध) 22/2022– 97 राँची, दिनांकः– 06.02.2023

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/2/23
(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Letter.docx290